

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2736
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

एनईपी, 2020 का कार्यान्वयन एवं प्रभाव तथा निपुण भारत मिशन

2736 डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है, जिसमें इसके प्रमुख घटकों के अंतर्गत प्रगति शामिल है;

(ख) निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यालयों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इसके शुभारंभ से अब तक आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मकता, अधिगम परिणामों, विद्यालय उपस्थिति तथा स्कूल बीच में छोड़ने की दरों पर एनईपी, 2020 तथा समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण) भारत के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्षों, निष्पादन संकेतकों, पहचानी गई कमियों तथा किए गए सुधारात्मक उपायों सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के पश्चात् इसके कार्यान्वयन हेतु विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। विद्यालयों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); एनईपी की अनुशंसाओं के अनुरूप समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) आदि वर्तमान केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अनुकूलन; कक्षा 2 के अंत तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए 'समझ के साथ पठन तथा संख्याज्ञान में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल' (निपुण भारत); तीन माह की खेल-आधारित विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के लिए 'विद्या प्रवेश' दिशानिर्देश; शिक्षा तक सुसंगत बहु-माध्यमीय पहुँच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; 'एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच' के रूप में दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग), जिसमें ई-पुस्तकें तथा ई-सामग्री उपलब्ध हैं; 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए

खेल-आधारित अधिगम-अध्यापन सामग्री के रूप में आधारभूत अवस्था हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) तथा 'जादुई पिटारा' का शुभारंभ; माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा को समाहित करने हेतु विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई); समग्र विकास के लिए ज्ञान का निष्पादन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (परख); निष्ठा (विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के समग्र उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पहल) - प्रारंभिक, माध्यमिक, एफएलएन एवं ईसीसीई; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त एवं गतिशील बनाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के निर्माण हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर); तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम" अथवा "उल्लास" योजना का कार्यान्वयन आदि जैसी कई पहल की गई हैं।

एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली का प्रावधान है। इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र के तहत हैं। इसलिए, निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

(ख): समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार योजना के विभिन्न उपायों, जिनमें निपुण भारत मिशन भी सम्मिलित है, के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का मूल्यांकन विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा, योजना के कार्यक्रमगत एवं वित्तीय मानदंडों के अनुरूप तथा संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। समग्र शिक्षा के लिए निधियों का निर्गमन समग्र रूप से किया जाता है, जो कुछ निर्धारित शर्तों की पूर्ति, जैसे व्यय की प्रगति, राज्यांश की समतुल्य राशि की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखे, बकाया अग्रिमों संबंधी विवरण, अद्यतन व्यय विवरण तथा लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र की उपलब्धता पर आधारित होता है। निपुण भारत मिशन मध्यवर्तन के अंतर्गत (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा पीएबी अनुमोदनों के भाग के रूप में) इसके शुभारंभ से अब तक अनुमोदित निधियों तथा उनके लिए किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान- बुनियादी चरण (रुपये करोड़ में)	
	पीएबी द्वारा स्वीकृत राशि	व्यय
2026-27	4195.73	156.63*
2025-26	2816.90	1677.30
2024-25	4607.81	2511.06
2023-24	3832.91	2474.74
2022-23	2956.97	2097.04
2021-22	2564.41	1309.70

स्त्रोत: प्रबंध पोर्टल * तिमाही -1 का व्यय

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी चरण के लिए राज्यवार नामांकन अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): एनईपी 2020 में रटने वाली शिक्षा और योगात्मक परीक्षाओं से नियमित, रचनात्मक और योग्यता-आधारित मूल्यांकन में बदलाव करके शिक्षार्थियों और मूल्यांकन प्रथाओं के समग्र विकास पर जोर दिया गया है जो सीखने, महत्वपूर्ण सोच, वैचारिक समझ और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2024 का आयोजन दिसंबर 2024 में एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों अर्थात् क्रमशः ग्रेड 3, 6 और 9 के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को मापने के लिए किया गया था। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2024 के निष्कर्ष मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएसएस) 21 अंकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार को उजागर करते हैं, जिससे एनईपी 2020 के तहत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट <https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en> पर उपलब्ध हैं। डैशबोर्ड और प्रसार कार्यशालाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण अधिगम कमियों की पहचान करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करती है तथा संभावित उपायों का सुझाव देती है, जिन्हें इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर उचित अनुकूलन के साथ शुरू किया जा सकता है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षण और अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी), निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) पहलों के लिए सहायता और अनुकूल अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान जैसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

“एनईपी, 2020 का कार्यान्वयन एवं प्रभाव तथा निपुण भारत मिशन” के संबंध में माननीय संसद सदस्य डा. विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2736 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फाउंडेशनल स्टेज के लिए राज्यवार नामांकन						
क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,934	11,291	11,042	10,913	11,474
2.	आंध्र प्रदेश	8,48,606	6,40,500	6,64,776	5,82,824	5,44,883
3.	अरुणाचल प्रदेश	59,995	48,179	46,616	40,359	37,964
4.	असम	13,94,891	13,14,702	12,22,654	11,15,213	10,35,658
5.	बिहार	44,63,029	36,35,668	25,90,376	25,11,248	24,28,158
6.	चंडीगढ़	29,198	30,164	29,309	26,925	30,343
7.	छत्तीसगढ़	7,59,022	7,21,279	7,23,579	6,76,804	6,24,948
8.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17,814	20,347	22,362	22,464	24,704
9.	दिल्ली	4,51,904	4,50,703	4,16,484	3,85,120	3,54,797
10.	गोवा	51,446	58,296	57,245	55,037	52,387
11.	गुजरात	13,38,385	13,89,600	13,35,387	12,69,636	17,25,726
12.	हरियाणा	4,53,338	3,90,089	3,04,590	3,15,643	3,24,882
13.	हिमाचल प्रदेश	1,61,301	1,57,190	1,56,867	1,45,519	1,43,975
14.	जम्मू और कश्मीर	3,97,211	4,02,784	4,18,042	3,90,012	3,60,676
15.	झारखंड	11,10,904	11,24,858	10,56,983	9,11,220	8,54,140
16.	कर्नाटक	13,16,687	12,31,328	9,96,359	9,14,375	8,91,573
17.	केरल	9,80,127	9,08,195	8,79,307	8,14,291	7,49,451
18.	लद्दाख	9,268	8,934	8,357	8,314	8,166
19.	लक्षद्वीप	3,788	3,322	3,403	3,409	3,423
20.	मध्य प्रदेश	17,57,154	17,37,576	15,28,342	12,45,396	11,82,094
21.	महाराष्ट्र	27,16,374	25,85,858	24,19,182	22,26,691	22,06,774
22.	मणिपुर	82,571	81,599	77,863	75,344	66,876
23.	मेघालय	3,27,974	2,96,253	2,88,573	2,77,943	3,00,931
24.	मिजोरम	45,950	45,663	43,612	39,308	38,971
25.	नागालैंड	68,001	61,265	53,689	51,483	47,521
26.	ओडिशा	10,67,309	10,64,315	10,08,836	9,17,659	10,51,011
27.	पुदुचेरी	26,380	24,007	21,877	20,329	20,109
28.	पंजाब	8,55,286	7,99,946	7,97,689	7,24,138	6,96,921
29.	राजस्थान	17,38,394	16,49,319	13,24,618	10,54,543	10,53,570
30.	सिक्किम	14,486	14,292	12,731	12,556	12,526
31.	तमिलनाडु	11,04,094	9,78,945	8,81,865	7,93,853	7,65,646
32.	तेलंगाना	5,90,540	5,07,830	4,08,333	3,69,732	3,86,831
33.	त्रिपुरा	97,625	94,516	90,103	85,881	84,963
34.	उत्तराखंड	1,73,618	1,64,080	1,40,936	1,06,552	77,636
35.	उत्तर प्रदेश	51,54,249	48,81,250	37,37,647	28,95,290	30,32,603
36.	पश्चिम बंगाल	37,86,956	34,85,224	35,19,543	32,71,717	31,33,498